अनुलग्नक–2
(जिला का नाम– मुजफ्फरपुर)
(नियोजन इकाई का नाम– साहेबगंज)

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के तहत विभागीय अधिसूचना सं0–1378 दिनांक–17.12.2021 एवं विभागीय पत्रांक–33 दिनांक–18.01.2022 के द्वारा राज्य के मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध, साहेबगंज में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अन्दर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची:–

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुनिल यादव	सुभाष यादव	ग्राम– रामपुर जगन, पो0–कटैला थाना+जिला– गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।	64	UR	03.07.1996	म0 वि0 धारोपाली।
2	प्रदीप कुमार यादव	केदार नाथ यादव	ग्राम– रिवर बैंक कालोनी पत्थर घाट पो0– पीरनगर, थाना+जिला– गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।	73	UR	01.07.1995	रा0 म0 वि0 बंगरा बरार।
3	अजय सिंह चौहान	लाल बहादुर चौहान	ग्राम+पो0– डोरा, थाना– सादात, जिला– गाजीपुर।	90	UR	12.11.1990	म0 वि0 रसूलपुर।
4	रिपु रंजन	लालबाबू सिंह	ग्राम– मधुरापुर, पो0– मोहब्बा, थाना– पारू, जिला– मुजफ्फरपुर।	148	EWS	21.04.1993	म0 वि0 घनैया हजरतपुर।

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाण–पत्र जाली/अन्तर्लिप्त/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियोजन रद्द कर दिया जायेगा और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।

ह0
(सचिव)
प्रखण्ड शिक्षक नियोजन समिति, साहेबगंज।

ज्ञापांक 1090 दिनांक–04.07.2022

प्रतिलिपि:–1. संबंधित नवनियुक्त शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:–2. विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।
प्रतिलिपि:–3. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगें।

(सचिव)
प्रखण्ड शिक्षक नियोजन समिति, साहेबगंज।